हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग
***

No.- FFE-B-F(2)-9/2021 Dated: Shimla-171 002, the 21st April, 2023

ORDER

Subject:- Diversion of 4.3483 ha forest land in favour of M/s Bharmani Hydro Power Pvt. Ltd. for the construction of 5.00 MW Dera Small HEP within the jurisdiction of Bharmour Forest Division, Distt. Chamba, H.P.(Online Proposal No. FP/HP/HYD/ 8754/2014)

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्याः 8बी./एच.पी.बी./01/05/2016/557 दिनांक 11.11.2022 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **4.3483 है0** वन भूमि के उपयोग के लिए विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैंः–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**

   (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 4.3483 है0 वन क्षेत्र, Talmehra/Shamlat Panjora 53/A/2 Village Panjora, Tehsil Bangana, District Una में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक सम्भव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।

   (ख) प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार 4.3483 है0 प्रतिपूर्ति पौधारोपण Talmehra/Shamlat Panjora 53/A/2 Village Panjora, Tehsil Bangana, District Una एवं ट्रांसमिशन लाइन के नीचे बौने पौधे (मुख्यतः औषधीय पौधे) पौधरोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
4. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 8th February, 2023 in I.A. No. 132892 of 2022 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. Union of India & Ors.

5. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में अगर बढौतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर शुद्ध वर्तमान मूल्य देने के लिए बाध्य होगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 42 Trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।

7. एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला क्लेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

8. Below each conductor or conductor bundle, 3m width clearance would be permitted for stringing purpose within the approved RoW.

9. The trees on such strips would have to be felled but after stringing work is completed, natural regeneration will be allowed to come up, Felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local forest officer, wherever necessary, to maintain the electrical clearance. One outer strip shall be left clear to permit maintenance of the transmission line.

10. During construction of transmission line, pollarding/pruning of trees located outside the above width of the strips, whose branches/parts infringe with conductor stringing, shall be permitted to the extent necessary, as may be decided by local forest officer.

11. Pruning of trees for taking construction/stringing equipments through existing approach/access routes in forest areas shall also be permitted to the extent necessary, as may be decided by local forest officer. Construction of new approach/access route will however, require prior approval under the Act.

12. In the remaining width of right of way trees will be felled or lopped within the RoW to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining minimum clearance between conductor and trees as follows: 4.00 m for 33 KV.

13. In the case of transmission lines to be constructed in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees will not be cut except those minimum required to be cut for stringing of conductors.

14. The H.P. Forest Department shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite

details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be. **The copy of the compliance for the same alongwith documentary evidence be provided to the IRO, MoEF&CC, Govt. of India.**

15. H.P. Forest Department shall ensure that the User Agency shall comply the provisions of the all Rules, Regulation and Guidelines issued for laying transmission line in forest areas the time being in force, as applicable to the project.

16. H.P. Forest Department/User Agency shall ensure adherence to stipulated E-flow, as recommended by the Govt. of Himachal Pradesh, NGT, MoEF&CC, GoI and any other regulatory authority, for the conservation and development of aquatic flora and fauna.

17. Any other condition that the concerned Regional Office of the Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forest and wildlife.

18. The User Agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.

19. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

20. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि लागू हो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) प्राप्त करेगा।

21. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

22. वन एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

23. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

24. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार परियोजना पर लागू सभी कानूनी आदेशो, प्रावधानों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

25. सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर RCC पिलर्स लगा सीमांकन किया जाएगा जिस पर Forward, Backward बीयरिंग अंकित होंगे।

26. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

27. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

28. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

29. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से वन विभाग की देख–रेख में ही पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।

30. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना हि0प्र0 वन विभाग/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

31. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

32. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

33. The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above conditions to the State Government and to the concerned Regional Office of the Ministry regularly

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,
ओंकार चन्द शर्मा
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Endst. No. As above Dated: Shimla-171 002 the, 21st April, 2023

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. The Regional Officer, Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, C.G.O Complex, Shivalik Khand, Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF), H.P. with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Chamba, District Chamba, H.P.
6. Divisional Forest Officer, Bharmour Forest Division, District Chamba, H.P.
7. M/s Bharmani Hydro Power Pvt. Ltd.
8. Guard File.

DFO (FCA)

(C.P. Verma, IAS)
Special Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2620887

प्र.मु.अ.पा (वन बल) हि.प्र. प्राप्ति सं 311 दिनांक 25/04/23

APCCF(FCA)
24/04/23

24/4/2023 Sh Narender ji Please put up
26/04/23

❖❖❖❖❖